पूनम कुमारी

बनाम

जय प्रकाश पांडे और अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 2871)

21 अप्रैल, 2008

[डॉ. अरिजित पसायत और पी. सतशिवम, न्यायमूर्तीगण]

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 - पेट्रोल पंप की खुदरा दुकानों के संबंध में डीलरशिप - विक्रेता चयन बोर्ड (डी.एस.बी.) द्वारा अपीलार्थी का चयन - प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका में चुनौती दी गई - अपीलार्थी को नोटिस तामिल नहीं करवाया गया - लिखित याचिका की अनुमति दी गई और डी.एस.बी. द्वारा किए गए चयन को रद्द कर दिया गया - एल.पी.ए. - इस निष्कर्ष के साथ निपटाया गया, कि अपीलार्थी को उसके मामले पर विचार करने के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए - अपीलार्थी द्वारा आवेदन - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि रिट याचिका स्वीकार करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, अंतिम निर्णय को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी - उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने माना कि चूंकि मामला नए सिरे से विचार के लिए डी.एस.बी. को प्रेषित किया गया था, आदेश में कोई अवैधता नहीं थी - चुनौती - अभिनिर्धारितः मामले पर आई.ओ.सी. के उच्च अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना है - कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया - एकल न्यायाधीश द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को देखा गया था, जी.एम., आई.ओ.सी. द्वारा नामित चयन समिति द्वारा विचार किया जाना।

पेट्रोल पंपों के कुछ खुदरा दुकानों के संबंध में विक्रेता की नियुक्ति हेतु अपीलार्थी का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया गया था और इस आशय का पत्र 8.11.2001 को जारी किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, उसने खुदरा आउटलेट को चालू करने हेतु पर्याप्त निवेश किया था। पूरा बुनियादी ढांचा आई.ओ.सी. द्वारा लगाया गया था जिसमें भूमि की व्यवस्था, तेल टैंक स्थापित किए गए थे और कुछ व्यक्तियों को कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और 12.11.2001 के प्रभाव से, अपीलार्थी ने खुदरा दुकान का संचालन शुरू कर दिया।

उत्तरदाता नं. 1, जो आवेदकों में से एक था और उसका नाम चयन सूची में नहीं था , ने विक्रेता चयन बोर्ड (डी.एस.बी.) द्वारा किये गये चयन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। प्रत्यर्थी सं० 1 का मुख्य आरोप था कि भले ही उसके पिता ने आईओसी को जमीन उपलब्ध कराई थी, उसे आबंटन के मामले में और विक्रेता के रूप में नियुक्ति में वरीयता नहीं दी गई। रिट याचिका में अपीलार्थी को एक पक्षकार के रूप में भी संयोजित किया गया था। हालांकि, उस पर कोई नोटिस तामील नहीं करवाई गई थी। रिट याचिका 15.1.2004 को स्वीकार की गई थी और डी.एस.बी. द्वारा किए गए चयन को रद्द कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी ने यह दावा किया है कि उस पर किसी नोटिस की तामील नहीं हुई और वह, एकल पीठ जिसने रिट याचिका को सुना ओर स्वीकार किया था, के समक्ष अपना मामला रखने की परिस्थिति में नहीं थी, उसने एलपीए दायर किया था। पक्षकारों को सुनने के बाद, खंड पीठ ने एल.पी.ए. का यह निष्कर्ष देते हुए निपटान किया गया कि न्याय हित में अपीलार्थी को अपने मामले पर विचार करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि न्यायालय उसके आवेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सके जो वह ठीक व न्यायपूर्ण समझे और यदि एक सप्ताह में कोई आवेदन रिट न्यायालय के विचार के लिए दायर किया जाता है, इस मामले को एक नए मामले के रूप में रखा जाएगा। उक्त

आदेश के अनुसार, एक आवेदन यह प्रार्थना करते हुए दायर किया गया था कि रिट याचिका में पारित आदेश दिनांकित 15.1.2004 को वापस लिया जाए।

एकल पीठ ने मामले को उठाया और अपीलार्थी की शिकायत को देखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि हालांकि रिट याचिका स्वीकार करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, अंतिम निर्णय को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी ने उक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु एल.पी.ए. प्रस्तुत की। आलोच्य आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने माना कि चूंकि मामला नए सिरे से विचार के लिए डी.एस.बी. को प्रेषित किया गया था, आदेश में कोई अवैधता नहीं थी।

इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि एक अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का दृष्टिकोण और इस तथ्य के कारण कि अपीलार्थी ने भारी निवेश किया था और खुदरा दुकान को चलने योग्य बनाया था और जो चालू थी, बिना किसी कारण के वह सुविधा वापिस ले ली गई और इस प्रकार यह प्रार्थना की गई है कि मामले के निपटारे तक उसे संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए।

उत्तरदाता ने तर्क दिया कि कई अनियमितताओं को देखते हुए, डी.एस.बी. को मामले का पुनर्विचार करने के लिए कहा गया।

न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारितः एकल न्यायाधीश के आदेश से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने पाया कि डी.एस.बी. द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक अनियमिततायें कारित की गई थी और इसलिए नवीन रूप से विचार करने की आवश्यकता थी। आई.ओ.सी. के अधिवक्ता ने सूचित किया कि डीएसबी 9.5.2002 के बाद से अस्तित्व में नहीं है और आगे इस ओर ध्यान दिलाया कि अन्य मामले, न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि मामला का

आई.ओ.सी. के उच्च अधिकारियों द्वारा उनके आंचलिक कार्यालय पर विचार किया जाना है। एकल न्यायाधीश द्वारा पायी गयी प्रक्रियात्मक खामियों के कारण मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि डी.एस.बी. के बजाय, जो अब अस्तित्व में नहीं है, इस न्यायालय द्वारा एक अन्य मामले में जो निर्देश दिया गया था, के अनुसरण में, महाप्रबंधक, आईओसी, बिहार राज्य कार्यालय, पटना, जिसे राज्य प्रमुख कहा जाता है द्वारा नामित चयन समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। समिति को मामले को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है। [पैरा 8-10] [745-जी, एच; 746-ए, बी, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2008 की 2871

2004 के एल.पी.ए. सं. 409 में पटना उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07.04.2004 से।

हिमांशु शेखर झा और रामेश्वर प्रसाद गोयल अपीलार्थी की ओर से।

डॉ. आर. जी. पाडिया, रंजन मुखर्जी, एस.सी. घोष, एच.के. पुरी, प्रिया पुरी, एस.के पुरी, वी. एम. चौहान, तुफाली ए खान, बी. के. प्रसाद, एम. पी. परमेश्वरन और शिव सागर तिवारी उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश** द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया था, को चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

1.9.2000 पर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में 'आई.ओ.सी.') ने बिहार राज्य के कई स्थानों के लिये जिनमें एक ब्रहमपुर भी था, कुछ खुदरा दुकानों (पेट्रोल पंपों) के संबंध में डिलर की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया। अपीलार्थी आवेदनकर्ताओं में से एक था। आवेदन आई.ओ.सी. द्वारा सत्यापित किये गये थे और सभी योग्य उम्मीदवारों के आवेदनों को चयन करने के लिए विक्रेता चयन बोर्ड (संक्षेप में 'डी.एस.बी.') को भेजे गये थे। डी.एस.बी. ने उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो पात्र पाए गए थे, साक्षात्कार पत्र जारी किए। इसने आवेदकों द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री ओर साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया और साक्षात्कार के आधार पर कथित रूप से निम्नलिखित क्रम में योग्यता के आधार पर एक चयन सूची तैयार की गईः

1. श्रीमती. पूनम कुमार-अपीलार्थी,

2. श्री दिनेश कुमार सिंह; और

3. श्री अनिल कुमार।

चयन सूची में संख्या 1 पर रखे जाने के आशय का एक पत्र 8.11.2001 को जारी किया गया था और आवश्यक आदेश अपीलार्थी को सौंप दिया गया था। वह दावा करती है कि उसने खुदरा दुकान को चालू करने में काफी निवेश कर दिया है। पूरा बुनियादी ढांचा आई.ओ.सी. द्वारा लगाया गया था जिसमें भूमि की व्यवस्था, तेल टैंक स्थापित किए गए थे और कुछ व्यक्तियों को कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और 12.11.2001 के प्रभाव से, अपीलार्थी ने खुदरा दुकान का संचालन शुरू कर दिया।

जे.पी. पांडे (प्रत्यर्थी सं०1), जो कि आवेदकों में से एक थे और जिनका नाम चयन सूची में नहीं था, द्वारा डी.एस.बी. द्वारा किये गये चयन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। मुख्य आरोप था कि भले ही उसके पिता

ने आईओसी को जमीन उपलब्ध कराई थी, उसे आबंटन के मामले में और विक्रेता के रूप में नियुक्ति में वरीयता नहीं दी गई। रिट याचिका में अपीलार्थी को भी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था। हालांकि, उस पर कोई नोटिस तामील नहीं करवाई गई थी। रिट याचिका 15.1.2004 को स्वीकार की गई थी और डी.एस.बी. द्वारा किए गए चयन को रद्द कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी ने यह दावा किया है कि उस पर किसी नोटिस की तामील नहीं हुई और वह, एकल पीठ जिसने रिट याचिका को सुना ओर स्वीकार किया था, के समक्ष अपना मामला रखने की परिस्थिति में नहीं थी, उसने एलपीए संख्या 93 सन् 2004 दायर किया था। पक्षकारों को सुनने के बाद, खंड पीठ ने एल.पी.ए. का निम्न निष्कर्ष देते हुए 3.2.2004 को निपटान किया गयाः

"अभिलेख के अनुसार यह स्पष्ट और प्रकट है और प्रत्यर्थीयों में से कुछ, रिट न्यायालय के समक्ष इस सामान्य कारण से कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था, निवेदन करने के लिये नहीं थे।

> इस न्यायालय की यह राय है कि न्याय हित में यह समीचीन और उपयुक्त होगा कि अपीलार्थी (रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 6) को उसके मामले पर विचार करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है, ताकि माननीय न्यायालय इस प्रकार के आदेश पारित कर सके जिसे न्यायालय उसके आवेदन पर उचित और न्यायसंगत पाये।
>
> इस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि एक सप्ताह के भीतर रिट अदालत के विचार के लिए आवेदन दायर किया जाता है, इस मामले को एक नए मामले के रूप में रखा जाएगा।"

उक्त आदेश के अनुसरण में, एक आवेदन (2004 का एम. जे. सी. संख्या 256) यह प्रार्थना करते हुए दायर किया गया था कि रिट याचिका(2001 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 14506) में पारित आदेश दिनांकित 15.1.2004 को वापस लिया जाए।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 3.3.2004 को मामला की सुनवाई करते हुये और अपीलार्थी की परिवेदना पर ध्यान देने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि उन्हें रिट याचिका में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और रिट स्वीकार कर ली गई थी लेकिन अंतिम निर्णय को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई थी। अपीलार्थी ने पारित आदेश पर सवाल उठाते हुए एल.पी.ए. 401/2004 दायर किया। आक्षेपित आदेश के अनुसार पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि चूंकि मामला नए सिरे से विचार के लिए डी.एस.बी. को प्रेषित किया गया है, आदेश में कोई अवैधता नहीं थी।

4. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला था। याचिका खारिज करने के लिए पहले के तर्क को दोहराया नहीं जाना चाहिए।

5. यह इंगित किया गया है कि अपीलार्थी को क्रमिक रूप से चयन सूची में सं०1 पर रखा गया था और खुदरा दुकान के संचालन की अनुमति दी गई थी तथा अपीलार्थी द्वारा भारी निवेश किया था और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उसके चयन को रद्द नहीं किया जा सकता था। इसलिए यह निवेदन किया गया कि एल.पी.ए. को अनुमति दी जानी चाहिए थी।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य का कि अपीलार्थी ने भारी निवेश किया है और खुदरा दुकान को चालू कर दिया था और यह काम कर रहा था, बिना

किसी कारण के सुविधा को वापस ले लिया गया है। इसलिए, प्रार्थना की कि मामले के निपटारे तक उसे संचालन की अनुमति दी जाए।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आदेश में कई अनियमितताएं थीं, इसलिए डी.एस.बी. को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था।

8. यह इंगित किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में इस ओर ध्यान अग्रेषित किया था कि उनके पिता ने आगे के नवीनीकरण के विकल्प के साथ आईओसी को लगभग तीस वर्षों के लिए पट्टे पर तीस वर्षों के लिए जमीन दी थी। इसलिए यह निवेदन किया गया कि रिट-याचिकाकर्ता को वरीयता दी जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में नहीं दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने पाया कि डी.एस.बी. द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं की गई थीं और इसलिए एक नये सिरे से विचार किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

9. आई.ओ.सी. के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि डीएसबी 9.5.2002 के बाद से अस्तित्व में नहीं है। यह आगे बताया गया है कि एक अन्य मामले में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले का आई.ओ.सी. के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय में विचार किया जाए।

10. मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा देखी गई प्रक्रियात्मक खामियां के कारण, हम निर्देश देंते हैं कि डी.एस.बी. के बजाय, जो अब अस्तित्व में नहीं है, एक अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, हम निर्देश देते हैं कि विचार महाप्रबंधक, आईओसीएल, बिहार राज्य कार्यालय, पटना द्वारा नामित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे राज्य प्रमुख कहा जाता है। समिति को इस मामले को शीघ्रता से निपटाने दें। चूंकि मामला लंबे

समय से लंबित है, इसलिए हम समिति को इस मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने का निर्देश देते हैं, सभी सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए जो पहले से ही रिकॉर्ड पर है और पार्टियों द्वारा रखा जाना है। आज से चार महीने की अवधि के भीतर अभ्यास पूरा किया जाए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण व अवगुणों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

11. अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है। कोई हर्जा नहीं।

डी.जी.

याचिका का निपटारा।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **अशोक कुमार टाक (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।